01.03.2022 को राजविअ में लंबित न्यायालयी मामलों को दर्शाता हुआ विवरण:

1. उच्चतम न्यायालय (02 मामले)

क्र. सं.	पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम	ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय	सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं.	दायर करने की तारीख	शामिल बड़े मुद्दे	हलफनामा दाखिल करने की स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एसएलपी सं. 25388/12 राजविअ द्वारा दायर	उच्चतम न्यायालय	श्री नरेश कौशिक काउंसेल	23.07.2012	राजविअ ने सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी श्री टी.एम. सम्पत को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के बराबर उच्च वेतनमान दिए जाने के आदेश को चुनौती दी है।	राजविअ पिटीशनर है।	मामले में उच्चतम न्यायालय नें अवकाश दिया है अगली **तारीख** नहीं दी गई है।
2.	एसएलपी सं. 7365/15 राजविअ द्वारा दायर	उच्चतम न्यायालय	श्री डी.एस. मेहरा, अधिवक्ता ऑन रिकार्ड सेंट्रल एजेंसी सेक्शन, एमओएलजे	07.04.2015	राजविअ नें श्री एस.एस. इंगलेश्वर अधीक्षक के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के बराबर उच्च वेतन मान के आदेश से चुनौती दी है।	राजविअ पिटीशनर है।	मामले में उच्चतम न्यायालय नें अवकाश दिया है। अगली **तारीख** नहीं दी गई है।

2. उच्च न्यायालय (19 मामले)

क्र. सं.	पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम	ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय	सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं.	दायर करने की तारीख	शामिल बड़े मुद्दे	हलफनामा दाखिल करने की स्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	डब्ल्यू.ए. सं.	तेलंगाना	श्री	23.04.2008	प्रार्थी श्री	दायर	अंतिम सुनवाई की अगली

	955/08 श्री के.एस. नायुडु स.अ., अ.प्र.रा.ज.वि.अ., हैदराबाद ने दायर किया।	उच्च न्यायालय (हैदराबाद)	बोम्मिनेनी नारायण रेड्डी (स.सो. जनरल) (9848039951)		नायुड ने राजविअ द्वारा स.अ. से क.अ. के पद का वेतनमान नियत करने संबंधी आदेश को चुनौती दी है।		तिथि 23.03.2022 है।
2.	डब्ल्यू पी सं. 17560/2005 श्री राम राज द्वारा दायर किया गया	तेलंगाना उच्च न्यायालय (हैदराबाद)	श्री बोम्मिनेनी नारायण रेड्डी (स.सो. जनरल) (9848039951)	08.08.2005	ई.ई पद पर पदोन्नति के लिए।	दायर	पिटीशनर की मामले में पैरवी करने की रूचि नही है। तथापि, मामला अभी लंबित है। अगली **तारीख** अभी तय नही है।
3.	डब्ल्यू पी सं. 3341/08 ओ.एं.सं. 239/2008 के खिलाफ राजविअ द्वारा दायर	दिल्ली उच्च न्यायालय	श्री नरेश कौशिक कांउसल	29.04.2008	राजविअ ने श्री टी.एम. संपत, प्रशा. अधिकारी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में कैट के निर्णय को चुनौती दी	राजविअ पिटीशनर है।	उच्च न्यायालय ने नियमित सूची में मामले को रखा है। अगली **तारीख** अभी तय नहीं की है।
4.	डब्ल्यू पी सं. 9083/09 श्री टी.एम. संपत द्वारा दायर किया गया।	दिल्ली उच्च न्यायालय	श्री आर.वी. सिन्हा कांउसल	06.04.2009	श्री टी.एम संपत ने श्री दयानंद उपनिदेशक (प्रशासन) की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आदेश तथा उनका उ.नि.(प्रशा.) पर नियुक्ति के लिए डीपीसी समीक्षा बैठक पर ओदश दिनांक 07.04.2008 सं. 220/2007 को चुनौती दी है।	दायर	न्यायालय नें मामले को नियमित मामले में शामिल किया है। अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।
5.	डब्ल्यू पी सं. 11709/09 श्री एन. डी. शुक्ला ने	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर)	श्री राधे लाल गुप्ता एएसजी	11.06.2009	ए.सी.पी योजना के अंतर्गत लाभ देने के संबंध	दायर	अगली **तारीख** अभी तय नहीं है।

	दायर किया।				में		
6.	डब्ल्यू पी(सी) सं. 8604/10 श्री टी.एम. संपत द्वारा दायर किया गया।	दिल्ली उच्च न्यायालय	श्री आर.वी. सिन्हा, कांउसल	20.12.2010	दिनांक 23.12.2004 को उ.नि.(प्रशा.) के पद पर चयन तथा उ.नि.(प्रशा.) के पद पर पदोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा	दायर	माननीय न्यायालय नें मामले को नियमित सूची में शामिल कर लिया है। अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।
7.	डब्ल्यू पी सं. 46919/14 श्री जी राजन्ना, एम.टी.एस नासिक द्वारा दायर किया गया	कर्नाटक उच्च न्यायालय (बंगलुरू)	श्री पी.बी. पुत्तासिद्वैया, सी.जी.एस.सी.	23.09.2014	फर्जी जाति प्रमाण-पत्र	दायर	मामला कर्नाटक राज्य से संबंधित है जिसने जाति प्रमाण-पत्र जारी किया है। राजविअ प्रोफार्मा पार्टी है। **(मामले में कार्यवाही सुनवाई के समय की जाएगी)** अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।
8.	डब्ल्यू पी सं. 366/2017 राजविअ द्वारा दायर किया गया।	दिल्ली उच्च न्यायालय	श्री आर.वी. सिन्हा कांउसल	06.01.2017	राजविअ ने श्री टी.एम. सम्पत प्रशा. अधिकारी के मामले में दिनांक 27.06.2008 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश को रद्द करते हुए दिनांक 04.08.2016 को कैट, दिल्ली के ओ.ए. सं. 2504/2008 को चुनौती दी है।	राजविअ पिटीशनर है।	कोरोना वायरस के प्रसार की वजह से अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।
9.	सिविल अपील सं. 74/2016 मैसर्स महाश्वेता राय चौधरी एंड	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर)	श्री जिनेंद्र कुमार जैन	15.12.2015	ओवर बर्डेन ड्रिलिंग के लिए ₹11,60,000/- के लंबित	दायर	प्लीडिंग पूरी हो गई है। अंतिम बहस करना बाकी है। अगली **तारीख** अभी तय नहीं है।

	कम्पनी द्वारा दायर				भुगतान के समायोजन के लिए।		
10.	डब्ल्यू पी सं. 32371/ 2014, श्री एस.ए. चिन्नासामी तथा अन्य द्वारा दायर किया गया।	मद्रास उच्च न्यायालय	श्री जी कार्तिकेयन ए.एस.जी, 9445758059	04.12.2014	पिटीशनर नें अंत:राज्यीय पोन्नियार (नेदुंगल अनीकट)- पालर नदी जोड़ परियोजना के 54.15 किमी लिंक से 6 किमी छोड़ने और उसे अन्य स्थान से निकालने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है।	दायर	राजविअ तथा जल संसाधन मंत्रालय दोनों प्रोफार्मा पार्टी हैं। अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।
11.	डब्ल्यू पी सं. 1636/2018 राजविअ द्वारा दायर किया गया।	दिल्ली उच्च न्यायालय	श्री नरेश कौशिक, अधिवक्ता	02.01.2018	राजविअ नें श्री एस.एस. इंगलेश्वर, अधीक्षक ग्रेड-I (अवकाश प्राप्त) को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के संबंध में कैट, नई दिल्ली के दिनांक 27.11.2017 के ओ.ए.सं. 773/2017 के आदेश को चुनौती दी है।	राजविअ पिटीशनर है।	कोरोना वायरस के प्रसार की वजह से अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।
12.	डब्ल्यू पी सं. 17307/ 2018 श्री के.के. रमेश द्वारा दायर किया गया।	तमिल नाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)	श्री के. बालासुंदरम	12.07.2018	तमिलनाडु में युध्द स्तर पर जल भंडारण के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए (राजविअ से संबंधित नहीं है।)	दायर	यू.एस.आर.सं. 66873 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा न्यायालय में कांउटर एफीडेबिट दायर की गई है। अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।
13.	डब्ल्यू पी सं. 21170/	तमिलनाडु उच्च	श्री के. बालासुंदरम	14.03.2019	किसानों को बचाने के लिए	दायर	यूएसआर सं. 66874 दिनांक 26.08.2019 के

	2017 श्री एम मुनियासामी फाउंडर सह प्रबंधन ट्रस्टी, तमिलनाडु लीगल सेफ्टी मूवमेंट	न्यायालय (मदुरई)			कावेरी, पलारू, वैगई, थमीरा परानी-बैप्पारू और कुंदारू जैसी नदियों को आपस में जोड़ने के लिए		द्वारा न्यायालय में कांउटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।
14.	डब्ल्यू पी सं. 1590/2018 श्री ए.एम. सुंदरावैल द्वारा दायर किया गया।	तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)	श्री के. बालासुंदरम	14.03.2019	तमिलनाडु की सिंचाई परियोजना में सरकारी निधि का दुरूपयोग (राजविअ के दायरे में नहीं है)	दायर	यूएसआर सं. 67089 दिनांक 28.08.2019 के द्वारा न्यायालय में कांउटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।
15.	डब्ल्यू पी सं. 4000/2019 श्री एन. गनेशेकरन द्वारा दायर किया गया।	तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)	श्री के. बालासुंदरम	14.03.2019	देरापराई बांध का निर्माण (राजविअ के दायरे में नहीं है)	दायर	यूएसआर सं. 67088 दिनांक 28.08.2019 के द्वारा न्यायालय में कांउटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।
16.	डब्ल्यू पी सं. 4351/2019 श्री ए. मुरूगसन सचिव, परिवालियल सुगरकेन, फार्मर्स एशोसिएशन	तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)	श्री के. बालासुंदरम	14.03.2019	मेयानुर बैराज से नहर द्वारा कावेरी अग्नियारू तथा दक्षिणी वेल्लार नदियों को जोड़ना। राजविअ गतिविधियों से संबंधित	दायर	यूएसआर सं. 66879/2019 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा न्यायालय में कांउटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।
17.	डब्ल्यू पी सं. 2864/2017 श्री कुमारी महा सभा द्वारा दायर किया गया।	तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)	श्री के. बालासुंदरम	14.03.2019	कन्याकुमारी जिले में बांधों एवं तालाबों पर ड्रेज डिसिल्ट एवं रखरखाव करना (राजविअ के दायरे में नहीं है)	दायर	यूएसआर सं. 66983/2019 दिनांक 27.08.2019 के द्वारा न्यायालय में कांउटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।
18.	डब्ल्यू पी सं. 4998/2017 श्री के.के. रमेश द्वारा दायर किया गया।	तमिल नाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)	श्री के. बालासुंदरम	14.03.2019	जलाशयों में जमा कीचड़ और कीचड़ युक्त मिट्टी को निकालना (राजविअ के दायरे में नहीं है)	दायर	यूएसआर सं. 66872 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा न्यायालय में कांउटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।

19.	डब्ल्यू.पी.सं. 19102/2019 श्री विश्वजीत रातोनिया द्वारा दायर किया गया।	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच	श्री फैजल अली शाह, अधिवक्ता	10.09.2019	स्वर्ण रेखा नदी की वाटर हार्वेस्टिंग	दायर	दिनांक 06.03.2020 के द्वारा न्यायालय में कांउटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।

3. केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण (कैट) (06 मामले)

क्र.सं.	**पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम**	**ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय**	**सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं.**	**दायर करने की तारीख**	**शामिल बड़े मुद्दे**	**हलफनामा दाखिल करने की स्थिति**	**वर्तमान स्थिति**
1.	ओ.ए. सं. 31/2018 श्री अभिषेक राव सूर्यवंशी द्वारा दायर किया गया।	कैट, जबलपुर	श्री ताजुद्दीन खान, अधिवक्ता	09.01.2018	अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के संबंध में	दायर	सुनवाई की अगली तिथि 11.05.2022
2.	ओ.ए. सं. 1122/2017 श्री रमेश चंद्र, अ.श्रे.लि. द्वारा दायर किया गया।	कैट, दिल्ली	श्री वाई. पी. सिंह, अधिवक्ता	28.03.2017	याचिकाकर्ता नें ए.सी.पी/ एम.ए.सी.पी लाभ वापस लेने के लिए राजविअ के निर्णय के विरूद्ध ओ.ए. दायर किया।	दायर	कोरोना वायरस के प्रसार की वजह से अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।
3.	ओ.ए. सं. 3703/2018 श्री मती संगीता मेहरोत्रा, आशु लिपिक-II द्वारा दायर किया गया।	कैट, दिल्ली	श्री विजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता	28.09.2018	याचिकाकर्ता नें ए.सी.पी/ एम.ए.सी.पी लाभ वापस लेने के लिए राजविअ के निर्णय के विरूद्ध ओ.ए. दायर किया।	दायर	कोरोना वायरस के प्रसार की वजह से अगली **तारीख** तय नहीं की गई है।
4.	ओ.ए. सं. 202/128/2019 श्री मती सुमन श्रीवास्तव द्वारा दायर किया गया।	कैट, जबलपुर	श्री अक्षय जैन, अधिवक्ता	20.05.2019	अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के संबंध में।	दायर	सुनवाई की अगली तिथि 11.05.2022
5.	ओ.ए. सं. 260/50/2021 श्री अशोक कुमार	कैट, कटक	श्री जितेन्द्र कुमार नायक, सीनियर	27.01.2021	पेंशन नियम 1972 के अनुसार	दायर	आवेदक के लिये लिमिटेड वकील की प्रार्थना पद प्रत्युतर दाखिल करने के

	मोहन्ती एवं अन्य के द्वारा दायर किया गया		पैनल काउंसिल (सी.जी.) 9437070166		पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के संबंध में		लिये चार सप्ताह का समय दिया जाता है। इस दौरान एएमए नं-62/221 में आपत्ति यदि कोई हो दायर की जाएगी। स्थिति लंबित
6.	ओ.ए. सं. 242/2021 श्री नरेश कुमार द्वारा दायर किया गया	कैट, जोधपुर	श्री के.एस. यादव, अधिवक्ता एसीजीएससी	17.12.2021	राजविअ में कनिष्ठ अभियंता के पद पर उनकी सेवा बहाल करने के संबंध में	नहीं	सुनवाई की अगली तिथि 11.04.2022

4. राष्ट्रीय हरित अभिकरण (02 मामले)

क्र.सं.	पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम	ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय	सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं.	दायर करने की तारीख	शामिल बड़े मुद्दे	हलफनामा दाखिल करने की स्थिति गया	वर्तमान स्थिति
1.	अपील सं. 34/2017 कंजर्वेशन आन ऐक्शन ट्रस्ट एवं अन्य द्वारा दायर किया गया। सचिव (ज.सं) पक्षकार नहीं हैं।	एन.जी.टी., दिल्ली	श्री बी.बी. नीरेन अधिवक्ता	03.11.2017	याचिकाकर्ता नें वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी देने के विरूद्ध अपील दायर की है। (केन-बेतवा लिंक)	दायर	एन.जी.टी. नें दिनांक 12.10.2018 की सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री मनोज कुमार मिश्रा के मामले में 1995 के डब्लयू पी.सी.सी. 202 आई.ए.सं. 27160/2018 की पहले सुनवाई के लिए सीईसी को निर्देश दिया। सीईसी ने 27 से 30 मार्च, 2019 के दौरान परियोजना स्थल का दौरा किया और बाद में 9.04.2019 एवं 08.05.2019 को सुनवाई की। अगली सुनवाई की **तारीख** अभी तय नहीं है।
2.	अपील सं. 33/2017 हिमांशु ठक्कर द्वारा दायर किया गया। सचिव (ज.सं) पक्षकार नहीं हैं।	एन.जी.टी., दिल्ली	श्री बी.बी. नीरेन अधिवक्ता	08.08.2017	याचिकाकर्ता नें वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी देने के विरूद्ध	दायर	एन.जी.टी. नें दिनांक 12.10.2018 की सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री मनोज कुमार मिश्रा के मामले में 1995 के डब्लयू पी.सी.सी. 202 आई.ए.सं. 27160/2018 की पहले सुनवाई के लिए सीईसी को निर्देश दिया।

					अपील की है। (केन-बेतवा लिंक)		सीईसी ने 27 से 30 मार्च, 2019 के दौरान परियोजना स्थल का दौरा किया और बाद में 9.04.2019 एवं 08.05.2019 को सुनवाई की। अगली सुनवाई की **तारीख** अभी तय नहीं है।

5. जिला न्यायालय के मामले (01 मामला)

क्र.सं.	**पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम**	**ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय**	**सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं.**	**दायर करने की तारीख**	**शामिल बड़े मुद्दे**	**क्या काउंटर जवाब दायर किया गया**	**वर्तमान स्थिति**
1.	एम.बी.ओ.पी. सं. 383/2020 श्रीमती सिम्मा एश्वरम्मा एवं अन्य के द्वारा दायर किया गया (मृतक के माता-पिता)	मोटर दुर्घटनाएं दावा न्यायाधिकरण-सह-प्रमुख जिला जज: आर.आर. जिला, एल.बी.नगर, आ.प्र.	श्री गोरिश सुनकारी, केन्द्र सरकार काउंसिल, एल.बी. नगर, हैदराबाद 9704737586	28.05.2020	प्रतिवादी के खिलाफ दुर्घटना का 15 लाख रूपये का दावा 1 एवं 2 (अर्थात श्री ए.के. पाढी, वाहन चालक एवं ई.ई. भुवनेश्वर)	दायर	अदालत में दिनांक 23.07.2021 के माध्यम से काउंटर हलफनामा दायर किया गया है। अगली तारीख 12.04.2022

सार

क्र.सं.	**न्यायालय का नाम**	**मामलों की संख्या**
1.	माननीय उच्चतम न्यायालय	02
2.	माननीय उच्च न्यायालय	19
3.	माननीय कैट न्यायालय	06
4.	माननीय एनजीटी	02
5.	माननीय जिला न्यायालय	01
	कुल	**30**